



21787 - जिस व्यक्ति पर रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा बाक़ी है उसके लिए आशूरा का रोज़ा रखना

प्रश्न

मेरे ऊपर रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा अनिवार्य है और मैं आशूरा (दसवें मुहर्रम) का रोज़ा रखना चाहता हूँ। क्या मेरे लिए क़ज़ा करने से पहले आशूरा का रोज़ा रखना जाइज़ है ? तथा क्या मेरे लिए रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा की नीयत से आशूरा (यानी दसवें मुहर्रम) और ग्यारहवें मुहर्रम का रोज़ा रखना जाइज़ है ? और क्या मुझे आशूरा के रोज़े की फ़ज़ीलत प्राप्त होगी ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

सर्व प्रथम :

वह नफ़्ल (स्वैच्छिक) रोज़ा नहीं रखेगा जबकि उसके ऊपर रमज़ान के एक या कई दिनों के रोज़े अनिवार्य हैं, बल्कि वह अपने ऊपर रमज़ान के बाक़ी रह गए रोज़ों की क़ज़ा से शुरूआत करेगा, फिर नफ़्ल (स्वैच्छिक) रोज़ा रखेगा।

द्वितीय :

यदि वह मुहर्रम के दसवें और ग्यारहवें दिन का रोज़ा अपने ऊपर अनिवार्य उन दिनों की क़ज़ा की नीयत से रखता है जिन दिनों का उसने रमज़ान के महीने में रोज़ा तोड़ दिया था, तो ऐसा करना जाइज़ है, और यह उसके ऊपर अनिवार्य दो दिनों की क़ज़ा होगी ; क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है : "कामों का आधार नीयतों पर है, और हर व्यक्ति के लिए वही चीज़ है जिसकी उसने नीयत की है।" स्थायी समिति के फ़त्वे 11/401.

"इस बात की आशा की जा सकती है कि आपको क़ज़ा करने का अज़्र व सवाब और उस दिन का रोज़ा रखने का अज़्र व सवाब मिले।" फ़तावा मनारूल इस्लाम लिशशैख मुहम्मद बिन उसैमीन रहिमहुल्लाह 2/358